उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0
(उ0 प्र0 सरकार का उपक्रम)
शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार
14, अशोक मार्ग, लखनऊ–226001
CIN:U40101UP1980SGC005065

संख्या : 1166/मा0सं0(04)/उ0नि0लि0/2019–49–मा0सं0(04)/2004 दिनांक : 14 जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 में कार्यरत कार्मिकों के स्थानान्तरण के सम्बंध में पूर्व में निर्गत समस्त आदेशों को अवक्रमित करते हुए स्थानान्तरण नीति 2019–2020 के मार्ग दर्शक सिद्धांत एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया एतद्द्वारा निर्गत की जाती है।

2. उपर्युक्त स्थानान्तरण नीति 2019–2020 के मार्ग दर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया तत्काल प्रभावी होंगे तथा अग्रिम आदेशों तक लागू रहेगें।

संलग्नक : यथोपरि।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से

संख्या : 1166 (1)/मा0सं0 (04)/उ0नि0लि0/2019, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. विशेष सचिव, ऊर्जा अनुभाग–02, उ0प्र0 शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. निदेशक (तकनीकी/वित्त/कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन/परि0 एवं वाणिज्य), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ के निजी सचिव/स्टाफ आफिसर।
4. अधिशासी निदेशक (वित्त), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
5. मुख्य अभियन्ता/महाप्रबन्धक, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह/मा0सं0/वित्त/लेखा/पी0पी0एम0एम0/पर्यावरण एवं सुरक्षा/तापीय परिचालन/ईंधन/जानपद–नव परियोजनायें–I/II/तापीय परिचालन/नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण/वाणिज्य/न्यू कोल ब्लाक, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा (सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/कासिमपुर (अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
6. मुख्य परियोजना प्रबन्धक (प्रगति), उ0प्र0रा0वि0उ0नि0लि0, चतुर्थ तल, नवीन भवन, टी0सी0/46 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ–226010 को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
7. अध्यक्ष, विद्युत उत्पादन सेवा आयोग, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. कम्पनी सचिव, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को निदेशक मण्डल के सदस्यों द्वारा परिचालन माध्यम से दिनांक 13.06.2019 को पारित प्रस्ताव के सम्बन्ध में।
9. उप महाप्रबन्धक/अधी0अभि0/उप सचिव/अधि0अभि0(मा0सं0–01/02/03/04/05/06)/रिफार्म/टाण्डा वाइंडिग सेल एवं संसदीय कार्य/प्रशिक्षण/तापीय परिचालन/जानपद/औ0सं0, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
10. मुख्य लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी, ओबरा/अनपरा/पारीछा/हरदुआगंज/पनकी ताप विद्युत गृह, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, ओबरा/अनपरा(सोनभद्र)/पारीछा(झॉसी)/हरदुआगंज(अलीगढ़)/पनकी (कानपुर)।
11. कार्मिक अधिकारी(औ0सं0), उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
12. कट फाइल।

आज्ञा से,
14.06.19
(आर0एन0 श्रीवास्तव)
अधीक्षण अभियन्ता (मा0सं0–04)

उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0 की स्थानान्तरण नीति 2019–2020 के मार्गदर्शक सिद्धान्त एवं स्थानान्तरण प्रक्रिया।

उद्देश्य :–

(क) निगम की परिवर्तनशील आवश्यकताओं को पूर्ण करना।
(ख) निगम में उपलब्ध जनशक्ति एवं उसकी योग्यताओं का समुचित उपयोग करना।
(ग) उपलब्ध मानव संसाधन से निगम के विशिष्ट कार्यो/उद्देश्यों की पूर्ति करना।
(घ) उपलब्ध मानव संसाधन को विकसित करना।
(ड.) निगम के उद्देश्यों के अनुरूप कार्यरत कार्मिकों की व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति करना।

2– **निगम की आवश्यकताओं के साथ–साथ कार्मिकों के विकास हेतु कार्मिकों के स्थानान्तरण मुख्य रूप से निम्न श्रेणियों में वर्गीकृत है :**

(क) निगम में उपलब्ध जन शक्ति का समुचित उपयोग करना।
(ख) निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप परियोजना/इकाई विशेष पर विशिष्ट ज्ञान/अनुभव का उपयोग करना।
(ग) मानव संसाधन विकास की दृष्टि से कार्मिको के कार्य में परिवर्तन करना।
(घ) प्रशासनिक कारणों से कार्मिक विशेष का निगम हित में हटाया जाना ।
(ड.) कार्मिक की व्यक्तिगत समस्याओं को ध्यान मे रखते हुए निगम की आवश्यकताओं के अनुरूप जहां तक संभव हों उनका समाधान करना।

3– **स्थानान्तरण नीति हेतु सभी संवर्गो के कार्मिकों हेतु कुछ सामान्य सिद्धान्त निम्नवत् है :**

3.1 चतुर्थ श्रेणी के कार्मिकों को छोडते हुए कार्मिकों के पदोन्नति पर संवर्ग परिवर्तन पर अथवा उच्चतर पद का कार्यभार प्रदान किये जाने पर साधारणतया परियोजना/ताप विद्युत गृह परिवर्तित किया जायेगा।

3.2 विभिन्न पदों हेतु नीचे दिये गये समय सीमा अथवा उपरोक्त 3.1 में दिये गये कारणों के अतिरिक्त प्रशासनिक अथवा कार्मिक के व्यक्तिगत अनुरोध आदि पर आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण किया जा सकता है, परन्तु स्थानान्तरण के पश्चात पांच वर्ष से पूर्व उसी स्थान/परियोजना पर तैनाती सामान्यतः नहीं की जायेगी।

(अ) किसी कर्मचारी के व्यक्तिगत अथवा आश्रितों के कारण जैसे चिकित्सा या बच्चों की शिक्षा इत्यादि के आधार पर स्थान रिक्त होने पर एवं दूसरे कर्मचारी के सहमत होने पर स्थानान्तरण अथवा समायोजन किया जा सकता है बशर्ते उस पर कोई प्रशासनिक आपत्ति न हो। यह सिद्धान्त तकनीकी कार्मिकों के सम्बन्ध में लागू करते समय कार्य की प्रकृति एवं गुणवत्ता को ध्यान में रखा जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ – 2 पर

14.06.19

(ब) मानसिक रूप से विक्षिप्त बच्चों के माता पिता की तैनाती प्राधिकृत निगम/सरकारी चिकित्सक का प्रमाण–पत्र प्राप्त कर उनके विकल्प के अनुसार ऐसे स्थानों पर करने का प्रयास किया जायेगा जिसके निकट चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो।

(स) दिव्यांग कार्मिक अथवा ऐसे कार्मिक, जिनके आश्रित परिवारजन दिव्यांगता से प्रभावित हों, को सामान्य स्थानान्तरण से मुक्त रखे जायेंगे। ऐसे दिव्यांग कार्मिकों के स्थानान्तरण गम्भीर शिकायतों अथवा अपरिहार्य कारणों से किये जायेंगे। दिव्यांग कार्मिक के द्वारा अनुरोध किये जाने पर, पद की उपलब्धता के आधार पर उसे अनुरोधानुसार तैनात करने पर विचार किया जा सकता है।

(द) अधीक्षण अभियन्ता एवं उच्चतर स्तरों एवं समकक्षों को छोड़कर उन कार्मिकों को, जिनकी सेवानिवृत्ति में दो वर्ष से कम का समय अवशेष हो, उनके द्वारा दिये गये विकल्पों के अनुसार, लखनऊ छोड़कर, यथासंभव तैनाती का प्रयास किया जायेगा।

(य) समूह 'ग' के कार्मिकों का प्रत्येक 03 वर्ष के उपरान्त पटल परिवर्तन कर दिया जाये।

3.3 (अ) स्थानान्तरण नीति के अनुसार कार्मिकों का अन्तर परियोजना/लखनऊ स्थित इकाइयों हेतु स्थानान्तरण कारपोरेट मुख्यालय द्वारा किया जायेगा।

(ब) स्थानान्तरण नीति के अनुसार परियोजनाओं पर अथवा परियोजना के अंदर स्थानान्तरण हेतु अर्ह कार्मिकों/अधिकारियों को चिन्हित किये जाने के लिये परियोजना पर गठित समिति विचार करेगी। इस परियोजना समिति में परियोजना के प्रमुख, अधिष्ठान प्रमुख एवं वित्त प्रमुख सदस्य होगें। यह समिति सम्बन्धित स्थानान्तरण सत्र हेतु दिनांक **20 अप्रैल** तक परियोजना स्तर पर गठित कर दी जायेगी। समिति परियोजना के अन्दर एवं परियोजना से बाहर स्थानान्तरण के लिए अर्ह कार्मिकों की सूची परियोजना प्रमुख/इकाई प्रमुख को **30 अप्रैल** तक उपलब्ध करायेगी जिस पर आवश्यक कार्यवाही परियोजना प्रमुख/इकाई प्रमुख द्वारा की जायेगी। अग्रेतर वर्षों हेतु परियोजना पर स्थानान्तरण हेतु समिति 15 मार्च तक गठित करली जायेगी तथा यह समिति परियोजना के अन्दर एवं परियोजना से बाहर स्थानान्तरण हेतु अर्ह कार्मिकों की सूची 25 मार्च तक परियोजना/इकाई प्रमुख को उपलब्ध करायेगी। अन्तर परियोजना हेतु अर्ह कार्मिकों की सूची परियोजना प्रमुख मुख्य अभियन्ता (मा0सं0) को सम्बन्धित कार्मिकों के कार्य अनुभव का पूर्ण उल्लेख करते हुए अपनी संस्तुति सहित 31 मार्च तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

3.4 **स्थानान्तरण किये जाने हेतु अवधि के निर्धारण के लिए कट आफ डेट 31 मार्च मानी जायेगी। वर्तमान स्थानान्तरण सत्र 2019–2020 के लिए स्थानान्तरण 30 जून, 2019 तक किये जायेगें।**

3.5 स्थानान्तरित कार्मिकों की संख्या कुल कार्मिकों की संख्या का अधिकतम 20 प्रतिशत होगी। इस स्थानान्तरण में वे स्थानान्तरण सम्मिलित नहीं होगें जो उ0प्र0 जल–विद्युत निगम लि0/उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 से उत्पादन निगम लि0 को अथवा उत्पादन निगम लि0 से इन निगमों को प्रत्यावर्तित किये जायेगें। साथ ही अन्तर्निगमीय स्थानान्तरणों से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण मानव संसाधन की आपूर्ति करने के लिए उपरोक्त सीमा लागू नहीं होगी।

क्रमशः पृष्ठ – 3 पर

14.06.19

3.6 यदि किसी परियोजना/ताप विद्युत गृह पर ऐसे कार्मिकों की संख्या जिनकी निम्नतर पदों पर कार्य अवधि शामिल करते हुए उस स्थान पर कार्य करने की अवधि नीचे वर्णित अवधि से अधिक हो गई हो, और बिन्दु 3.5 में वर्णित संख्या/प्रतिशत से अधिक हो तो परियोजना/ताप विद्युत गृह पर तैनात वरिष्ठतम कार्मिक को पहले स्थानान्तरित किया जायेगा। परन्तु अन्तर निगमीय स्थानान्तरण से उत्पन्न परिस्थितियों में कार्य की आवश्यकतानुसार तैनाती/स्थानान्तरण किया जा सकेगा।

3.7 उपरोक्तानुसार स्थानान्तरण के लिए दिनांक **15 जून** तक अर्ह कार्मिकों के स्थानान्तरण हेतु तैनाती विवरण पर निर्धारित प्रारूप में तथा कार्मिको से तीन विकल्प अनुलग्नक–1 में प्राप्त कर संलग्न करते हुए परियोजना प्रमुख/इकाई प्रमुख निगम मुख्यालय को प्रस्तुत करेगें। स्थानान्तरण के समय इन विकल्पों पर निगम की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उनकी वरीयता क्रम में विचार किया जायेगा।

3.8 सामान्य परिस्थितियों में किसी भी कार्मिक को उसी परियोजना के अन्दर स्थानान्तरण पर पुनः उसी कार्यालय में जहां पर वह पहले कार्य कर चुका है पॉच वर्ष के समय अन्तराल से पहले तैनात नहीं किया जायेगा। अभियन्त्रण संवर्ग में विशेष परिस्थितियों में यथा टरबाइन, कन्ट्रोल एवं इन्स्ट्रूमेन्टेशन, इलेक्ट्रिकल, ब्वायलर रोटेटिंग पार्ट्स में यदि पुनः तैनाती किया जाना आवश्यक हो तो प्रबन्ध निदेशक महोदय से अनुमति लेना आवश्यक होगा।

3.9 (i) यदि पति/पत्नी में से कोई एक सरकारी सेवा में हो तो निगमकर्मी पति/पत्नी को यथा सम्भव निकटवर्ती परियोजना में तैनात करने हेतु प्रयास किया जाएगा।

(ii) यदि पति/पत्नी दोनों ही निगम की सेवा में हों तो उन्हें यथा सम्भव एक ही परियोजना पर तैनात किये जाने का प्रयास किया जाएगा। साथ ही दम्पति में जो कार्मिक कनिष्ठ पद पर कार्यरत होगा निगम केवल उसके स्थानान्तरण हेतु प्रयास करेगा।

3.10 निजी अनुरोध पर किये जाने वाले स्थानान्तरण पर सम्बन्धित कार्मिकों को यात्रा भत्ता अनुमन्य नहीं होगा। केवल कार्य भार ग्रहण काल नियमानुसार अनुमन्य होगा।

3.11 रोकी गई सत्यनिष्ठा के कार्मिकों को अनुरक्षण एवं कार्य/क्रय मण्डलों में तैनात नहीं किया जायेगा।

3.12 यदि किसी कार्मिक को पिछले पॉच वर्षों में दो निन्दा प्रविष्टी या एक बृहद दण्ड दिया गया हो तो उसे भी अनुरक्षण एवं कार्य/क्रय मण्डलों में तैनात नही किया जायेगा। उक्त पांच वर्षो की गणना स्थानान्तरण समय से पूर्व के पांच वर्षो से की जायेगी।

3.13 उत्पादन निगम लि0 के अन्तर्गत लखनऊ मुख्यालय की विभिन्न इकाइयों में तैनात अधिकारी स्थानान्तरण हेतु गृह जनपद के प्रतिबन्धों से सामान्यतः मुक्त रहेंगे ।

3.14 समूह "क" एवं "ख" के अधिकारियों को उनके गृह जनपद स्थित परियोजनाओं पर तैनात नहीं किया जायेगा। यह प्राविधान अनपरा तापीय परियोजना एवं ओबरा तापीय परियोजना के सम्बन्ध में लागू नहीं होगें।

3.15 निगम द्वारा मान्यता प्राप्त यूनियनों/एसोसिएशनों के केन्द्रीय कार्यकारणी के अध्यक्ष तथा महासचिव उनके कार्यकाल (टर्म) हेतु स्थानान्तरण से अवमुक्त रहेगें। यदि स्थानान्तरण किया जाना अपरिहार्य हो तो इसका पूर्वानुमोदन प्रबन्ध निदेशक से प्राप्त किया जायेगा।

क्रमशः पृष्ठ – 4 पर

14.06.19

4– **निगम के अभियन्ता अधिकारियों/अवर अभियन्ताओं की स्थानान्तरण नीति के सामान्य सिद्धान्तः–** निगम के अन्तर्गत स्थानान्तरण आदेश इन निर्दिष्ट नीतिगत सिद्धान्तों का सामान्यतया अनुपालन करते हुए निर्गत किये जायेगें।

4.1 **तैनाती की सामान्य समय सीमा निम्न होगीः–**

	अवर अभियन्ता हेतु	सहा0 अभि0 हेतु	अधि0 अभि0 हेतु	अधी0 अभि0 हेतु
एक पद पर/खण्ड में	06 वर्ष	05 वर्ष	05 वर्ष	––
एक मण्डल में	10 वर्ष	10 वर्ष	10 वर्ष	––
एक परियोजना में (निम्नतर पदों को सम्मिलित करते हुए)	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष	15 वर्ष (सभी पदों पर) 10 वर्ष (अधि0 अभि0 एवं उच्चतर पदों पर)

4.2 परियोजना में अवर अभियन्ताओं, सहायक अभियन्ताओं एवं अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण परियोजना प्रमुख द्वारा किया जाये। परन्तु उप महाप्रबन्धक/अधीक्षण अभियन्ता एवं समकक्ष उनसे ऊपर के अधिकारियों का उनके वर्तमान पद से स्थानान्तरण केवल निगम मुख्यालय द्वारा ही किये जायेगें।

5– **लेखा स्कन्ध के अधिकारियों/कर्मचारियों की स्थानान्तरण/तैनाती**

5.1 परियोजना पर वरिष्ठ लेखाधिकारी/उप मुख्य लेखाधिकारी/उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा) की तैनाती की सामान्य समय सीमा उक्त पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए पांच वर्ष होगी।

5.2 सहायक लेखाधिकारी/लेखाधिकारी की तैनाती की सामान्य समय सीमा निम्नतर पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए सात वर्ष होगी।

5.3 परियोजनाओं पर सहायक लेखाकारों एवं लेखाकारों की तैनाती की सामान्य समय सीमा निम्नतर पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए 10 वर्ष होगी।

5.4 लेखा संवर्ग के समूह "ग" के मिनिस्ट्रीयल कार्मिकों की सीट 05 वर्षो के अन्तराल पर बदल दी जायेगी। एक परियोजना पर 15 वर्ष निम्नतर सेवाओं को सम्मिलित कर अधिकतम तैनाती होगी।

6– मिनिस्ट्रीयल/तकनीकी/रसायन के समूह "ग" के कार्मिको के स्थानान्तरण/तैनाती

6.1 मिनिस्ट्रीयल संवर्ग (मुख्य अभियन्ता संवर्ग) के कार्मिकों की तैनाती के सामान्य सीमा निम्नतर पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए एक परियोजना/इकाई में 15 वर्ष होगी तथा मिनिस्ट्रीयल संवर्ग (मण्डल/खण्ड) के कार्मिकों की तैनाती की सामान्य निम्नतर सीमा निम्न पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए एक मण्डल में 10 वर्ष एवं एक खण्ड में 5 वर्ष होगी।

14.06.19

क्रमशः पृष्ठ – 5 पर

6.2 तकनीकी संवर्ग के समूह "ग" का एक खण्ड में 10 वर्ष व एक मण्डल में 15 वर्ष के पश्चात परियोजना के अर्न्तगत खण्ड/मण्डल परिवर्तन किया जायेगा।

6.3 रसायन संवर्ग के समूह "ग" के कार्मिको के सम्बन्ध में तकनीकी संवर्गानुसार कार्यवाही की जायेगी।

7– **चिकित्सा/कार्मिक/श्रम एवं कल्याण तथा शिक्षण संवर्ग के अधिकारियों के स्थानान्तरण/तैनाती**

परियोजना पर कार्यरत उक्त संवर्ग के अधिकारियों (उनको छोडते हुए जो किसी कार्य में विशेषज्ञ/विशेष निपुणता रखते हो) की सामान्य निम्नतर सीमा निम्नतर पदों पर की गई सेवाओं को सम्मिलित करते हुए 15 वर्ष होगी।

8– **स्थानान्तरण प्रक्रिया :–**

8.1 परियोजना प्रमुख द्वारा एक बार स्थानान्तरण आदेश निर्गत हो जाने के पश्चात यदि उसमें कोई संशोधन प्रस्तावित हो तो उसका लिखित अनुमोदन उच्चतर अधिकारी से प्राप्त करना होगा।

8.2 (अ) नियंत्रक अधिकारी का यह दायित्व होगा कि स्थानान्तरित अधिकारी को प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये बिना स्थानान्तरण आदेश प्राप्त होने के 7 दिनों के अन्दर अवमुक्त कर दिया जाये। स्थानान्तरण होने के कारण पद की रिक्तता की स्थिति में अन्य किसी कार्मिक को अतिरिक्त कार्यभार दिया जायेगा। स्थानान्तरित कार्मिक का दायित्व होगा कि वह कार्य मुक्त होने के पश्चात विलम्बतम निर्धारित समय सीमा के अन्दर नवतैनाती स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर लें। निर्धारित अवधि के पश्चात पूर्व तैनाती स्थान पर किसी भी दशा में कार्मिक को वेतन आहरण का अधिकार नहीं होगा।

(ब) उपरोक्त प्राविधानों का उल्लंघन गम्भीर अनुशासनहीनता मानी जायेगी और कार्य भार ग्रहण न करने वाले कार्मिक के विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(स) इसी प्रकार स्थानान्तरित कार्मिकों को अवमुक्त न किये जाने की स्थिति में उनके नियन्त्रक अधिकारी तथा सम्बन्धित परियोजना प्रमुख दोषी माने जायेगें तथा उनके विरूद्ध भी अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

8.3 स्थानान्तरित कार्मिक कार्यमुक्त होने के पश्चात यदि नवतैनाती स्थान पर निर्धारित समय के अन्दर कार्य भार ग्रहण नहीं करता है तो इसके लिए वह स्वयं दोषी माना जायेगा।

8.4 **स्थानान्तरण रोकने के प्रत्यावेदन एवं सिफारिश–**

स्थानान्तरित कार्मिक स्थानान्तरण आदेशों के विरूद्ध दबाव डालने का प्रयत्न करेगें तो इसे सरकारी कर्मचारी अधिनियम–56 के नियम–27 का उल्लघंन मानते हुए उनके विरूद्ध कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी। स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने के दोषी पाये गये अधिकारी/नियन्त्रक अधिकारी/मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा उ0प्र0 सरकारी सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियमावली 1999 के सुसंगत प्राविधानों के अनुसार कार्यवाही करते हुए निलम्बन किया जा सकता है। निर्धारित अवधि में कार्यभार न छोड़ने पर सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को वेतन भुगतान नहीं किया जायेगा तथा इसकी सूचना वेतन आहरण/वितरण इकाई को दी जायेगी।

क्रमशः पृष्ठ – 6 पर

14.06.19

8.5 स्थानान्तरित अधिकारी का यह दायित्व होगा कि पद मुक्त होने से पूर्व वह महत्वपूर्ण प्रकरणों आदि के सम्बन्ध में कार्यभार स्थानान्तरण टिप्पणी (चार्ज नोट) बनाये ताकि नये अधिकारी को कार्य सम्पादित करने में सुविधा हो। उसकी एक प्रति अपने नियंत्रक अधिकारी को कार्यभार प्रमाण के साथ प्रस्तुत करेगा। इस चार्ज नोट में महत्वपूर्ण प्रकरणों/विधिक मामलो आदि के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी दी जायेगी।

9– **स्थानान्तरण हेतु सक्षम अधिकारी**

9.1 **परियोजना/इकाई के अर्न्तगत**

(क) मुख्य अभियन्ता (स्तर–2)	प्रबन्ध निदेशक
(ख) अधीक्षण अभियन्ता	प्रबन्ध निदेशक
(ग) अधि0 अभि0 एवं समकक्ष स्तर तक के कार्यरत/आबंटित अधिकारी	परियोजना/इकाई प्रमुख
(घ) सहायक अभियन्ता	परियोजना प्रमुख
(ड) श्रेणी 3 एवं 4 के कर्मचारी (अवर अभियन्ताओं सहित)	जहाँ महाप्रबन्धक (प्रशासन) का पद उपलब्ध हो वहाँ परियोजना प्रमुख की सहमति से महाप्रबन्धक (प्रशासन)/अन्यथा की स्थिति में परियोजना प्रमुख

9.2 **अन्तर परियोजना/इकाई के अर्न्तगत**

(क) मुख्य अभियन्ता (स्तर–1/2) एवं समकक्ष	प्रबन्ध निदेशक
(ख) अधीक्षण अभियन्ता	प्रबन्ध निदेशक
(ग) अधिशासी अभियन्ता एवं समकक्ष तथा सहायक अभियन्ता एवं समकक्ष स्तर तक के अधिकारी।	निदेशक (कार्मिक प्रबन्धन एवं प्रशासन)
(घ) अवर अभियन्ता एवं समकक्ष तथा श्रेणी–3 एवं 4 के कार्मिक	महाप्रबन्धक (मा0सं0)

10– **विशेषाधिकार**

प्रबन्ध निदेशक को किसी भी समय प्रशासनिक कारणों से निगम कार्य हित में किसी भी कार्मिक को इन मार्गदर्शक सिद्धान्तों से हटकर स्थानान्तरण करने का अधिकार होगा।

11– कार्मिकों के अन्तर–परियोजना स्थानान्तरण शासनादेश संख्या : 732/24–पी–2–12–3(अधि.)/2009 दिनांक 04.05.2012 के साथ संलग्न माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित 'ऊर्जा विभाग के स्थानान्तरणों के सम्बन्ध में द्वि–सदस्यीय समिति' की दिनांक 2.05.2012 को सम्पन्न हुई बैठक के कार्यवृत्त में निहित निर्देशानुसार किये जायेंगे।

12– यह स्थानान्तरण नीति जब तक उत्पादन निगम लि0 द्वारा विखण्डित न कर दी जाये यथावत् लागू रहेगी।

14.06.19

क्रमशः पृष्ठ – 7 पर

अनुलग्नक–01

वर्ष.....में स्थानान्तरण हेतु विकल्प पत्र

अभिज्ञान सं0/वरिष्ठता क्रमांक.....
सीपीएफ/जीपीएफ सं0.....

कार्मिक का नाम.....
कार्मिक का पद.....

नियमितः–
स्थानापन्नः–

कार्मिक के पूर्व पदों पर कार्यानुभव का विवरण

क्रमांक	खण्ड/मण्डल/इकाई/विभाग का नाम	तैनाती की अवधि	कार्य का विवरण
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

स्थानान्तरण हेतु तीन विकल्प

वरीयता स्थल– अनपरा, ओबरा, हरदुआगंज, पारीछा, जवाहरपुर तापीय परियोजना, लखनऊ।

प्रथम वरीयता.....
द्वितीय वरीयता.....
तृतीय वरीयता.....

हस्ताक्षर

नाम.....
पदनाम.....

14-06-19

अभि0 सं0.....